13/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया एवं वादिया स्वयं हाजिर नहीं। रुक-रुक कर तीन बार से अधिक आवाज लगायी गयी। न तो वादिया स्वयं हाजिर हुई तथा ना ही वादिया की ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर हुआ। अतः वादिया का वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से दर्ज हो। बाद तामील तामील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
झोपड़ाबाड़ी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Singh
Date: 2019.12.24 14:49:30 IST
Reason: SelfAttested